

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/नई परि./पीआरओपी व एपीपीआर/ मा.सं./सीकेएसआरयू /318/2023/37 दिनांक 21 अगस्त 2023

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न कंपनी, सीएसएल कोलकत्ता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), कोलकाता में अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी के निम्नलिखित पद को भरने हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है:

पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव :

तालिका 1

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	अनुबंध के आधार	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	अनिवार्य:
	पर परियोजना	60% अंकों के साथ यांत्रिकी	योग्यता प्राप्त करने के बाद,
	अधिकारी (यांत्रिकी)	इंजीनियरिंग में डिग्री ।	निम्नलिखित में दो वर्षों का अनुभव
	\sim	A	हो :
	L	Z \	• पोत निर्माण कंपनी या
			• पोत मरम्मत कंपनी या
	111111	THE STATE OF THE S	• समुद्री संबंधी कंपनी या
			• पत्तन या
			• इंजीनियरिंग कंपनी या
			• सरकारी कंपनी या स्थापना या
			• अर्ध-सरकारी कंपनी या स्थापना
			वांछनीयः
		A Tom career	 कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की दक्षता एवं अनुभव।
		Till later	• हिंदी/ बंगाली में संवाद करने की
			क्षमता।

II. <u>महत्वपूर्ण तिथियांः</u>

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत : 06 सितंबर 2023 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 27 सितंबर 2023

III. रिक्तियों की सं.और आरक्षणः

तालिका 2

अनारक्षित	अपिव	अ.जा.	कुल
2	1	1	4

- क) रिक्तियों की संख्या बढाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।
 - ख) बैंचमार्क दिव्यांगज व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

IV. अनुबंध की अवधि और तैनाती का स्थानः

- क) उपरोक्त पद अस्थायी प्रकृति के हैं और परियोजना की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन के अधीन **अधिकतम तीन साल की अवधि** केलिए हैं।
- ख) तैनाती सीएसएल द्वारा वांछितानुसार सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) / कोई अन्य सीएसएल यूनिट/ अन्य परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. पारिश्रमिकः

क) पदों केलिए पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार हैं:

<u>तालिका 3</u>					
अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति माह)	काम के अतिरिक्त घंटों केलिए मुआवज़ा (प्रति माह)			
प्रथम वर्ष	₹ 37000/-				
द्वितीय वर्ष	₹ 38000/-	₹ 3000/-			
तृतीय वर्ष	₹ 40000/-				

VI. <u>आयुः</u>

- क) अधिकतम आयु दिनांक 27 सितंबर 2023 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,अर्थात् आवेदकों का जन्म दिनांक 28 सितंबर 1993 को या उसके बाद होना चाहिए।
- ख) आरक्षित पदों में अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों केलिए 3 वर्ष और अनुसूचित जाति (अ.जा.) केलिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी।

ग) बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों केलिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। फिर भी, किसी भी मामले में, सभी छूट लगाने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

VII. चयन की विधि:

- क) चयन की विधि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से होगी । अंतिम चयन केलिए अंक निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार नियत किया जाएगा ।
 - वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 50 अंक
 - 🗲 वैयक्तिक साक्षात्कार 20 अंक
 - साक्षात्कार और प्रस्तुति के दौरान चयन सिमिति द्वारा मूल्यांकन के अनुसार संगत कार्य अनुभव
 30 अंक
 कुल 100 अंक
- ख) सीकेएसआरयू द्वारा तय किए अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी । परीक्षा केंद्र का आबंटन सीकेएसआरयू के विवेकाधिकार पर होगा ।
- ग) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी जिसमें सामान्य ज्ञान (10 अंक) और विषय आधारित (40 अंक) के क्षेत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।
- घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रत्येक पदों केलिए अंक सूची तैयार की जाएगी।
- ङ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं:-

अनारक्षित पदों केलिए- वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के कुल अंकों का 50 %

अ.पि.व. उम्मीदवारों केलिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 45% केवल अ.पि.व. केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए

अ.जा. उम्मीदवारों केलिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40 % केवल अ.जा. केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों केलिए - वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के कुल अंकों का 40%

च) उम्मीदवार जो अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक हासिल किया है, उन्हें पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अनुभव आदि) के सत्यापन के अधीन पावर पॉइंट प्रस्तुति और वैयक्तिक साक्षात्कार केलिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार को आयु, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्र और आरक्षण श्रेणियों (अ.पि.व.)/अ.जा./ पीडब्ल्यूबीडी) केलिए प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना चाहिए। सीएसएल योग्यता के क्रम में प्रमाणपत्रों के सत्यापन केलिए पर्याप्त संख्या

में उम्मीदवारों को बुलाएगा, ताकि पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार केलिए उम्मीदवारों को एक पद के मुकाबले 6 उम्मीदवारों के न्यूनतम अनुपात में प्राप्त किया जा सके । उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ मूल रूप में सभी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे, और पावर पॉइंट प्रस्तुति व वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने हेतु लघुसूची करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

- छ) प्रमाणपत्र सत्यापन के अलावा, योग्य उम्मीदवारों के साथ पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, भले ही यह सीएसएल द्वारा तय किए गए 1:6 अनुपात से कम हो।
- ज) प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने केलिए लघुसूचीगत किया जाएगा।
- झ) पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार सीकेएसआरयू/ सीकेएसआरयू द्वारा अधिसूचित स्थान पर किया जाएगा।
- ञ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, अनुभव और वैयक्तिक साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर विभिन्न पदों केलिए रैंक सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद टाई के मामले में, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर संबधित योग्यता तय की जाएगी।
- ट) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, विभिन्न विषयों केलिए आवेदनों की जांच करने और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के सामने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलॉड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं के आधार पर उम्मीदवारों को लघुसूचीगत करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है और केवल ऐसे लगुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमित दी जाएगी।

VIII. शर्तैः

क) <u>आरक्षण</u>

- i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- ii) यदि आवेदक अ.जा. या अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी <u>वैध</u> अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों या छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया *एक <u>वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र</u>* निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता

- i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ भारत/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है । कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं । यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा । फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है ।

ग) <u>अनुभव</u>

- i) उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 27 सितंबर 2023 से की जाएगी।
- ii) <u>शिक्षु अधिनियम के तहत संगत शाखा में शिक्षुता प्रशिक्षण सिहत पारिश्रमिक के साथ सभी प्रकार के</u> प्रशिक्षण को अनुभव के रूप में माना जाएगा।
- iii) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही चयन प्रक्रिया में लघुसूची करने हेतु विचार किया जाएगा।
- iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा।
- v) पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्ववाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

- vi) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vii) जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि अनुसार सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के अंतिम वर्ष में है, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने केलिए पात्र हैं। जो सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में है, वे समान पदों केलिए आवेदन करने के पात्र नहीं है।
- viii) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद केलिए उनके आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए।

घ) आवेदन शुल्कः

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 06 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

ङ) <u>आवेदन कैसे करें</u>

- i) आवेदकों को वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीकेएसआरयू, कोलकाता) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढ़ना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं -एक बार पंजीकरण और लागू पद के सामने आवेदन प्रस्तुत करना । आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक एसएपी **ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते** हैं। अपना आवेदन जमा करने की सुविधा हमारी वेबसाइट <u>www.cochinshipyard.in</u> (कैरियर पृष्ठ→ सीकेएसआरयू, कोलकाता) के माध्यम से <u>06 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023</u> तक प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्र और हाल ही में एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलॉड किया गया है, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार किया जाएगा।
- iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "प्रगति में " के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति "प्रगति में " है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vi) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।

- vii) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / सीकेएसआरयु को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- viii) वेबसाइट दिनांक 06 सितंबर 2023 से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 सितंबर 2023 है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।

च) सामान्य

- i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।
 - क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और
 - i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
 - ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
 - iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।
 - ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अविध को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़िरए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सिन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अविध के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या
 - ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या
 - घ) कार्मिक, जो अप्रैल14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
 - ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

- च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।
- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career.cksru@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीकेएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v) चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- vi) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अविध केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अविध के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- vii)अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- viii) लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीकेएसआरयू, कोलकाता) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीकेएसआरयू, कोलकाता) को बार- बार देखें।
- ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती

के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

- x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएमएसआरयू द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अविध के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अविध परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
- xiii)इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अविध के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।
- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएमएसआरयू वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

xix) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career.cksru@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।" "केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

> ह/-महाप्रबंधक (मानव संसाधन व प्रशिक्षण)

